आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –208 / 2022
मुनीता कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
01.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 18145 / 2021 में दिनांक–18.08.2012 को पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा इस वाद के विपक्षी संख्या–02 (रिंकु कुमारी) को जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु प्राप्त अनुज्ञप्ति के विरुद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 18.08.2012 में अंकित है कि :– **"Considering the afore-noted submissions on behalf of the petitioner, this Court deems it appropriate to direct the petitioner to make a complaint before the Divisional Commissioner against the process of appointment as also the selection of respondent no. 5, within a period of thirty days, On such complaint, the Divisional Commissioner shall after hearing the parties, including the respondent no. 4 and any other stake holder in the matter, shall pass a final order within a further period of sixty days supported with reasons."** वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2017 में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल ग्राम पंचायत राज बोकाने कला के जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन मांगा गया, जो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित था, जिसमें 08 आवेदन प्राप्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	हुआ। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकलांगता को प्राथमिकता देते हुए श्रीमती कोमल कुमारी का चयन किया गया, परन्तु उनका विकलांगता प्रमाण–पत्र जाली होने के कारण उनके चयन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मेधा सूची के अन्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अगली बैठक की गई, जिसमें मेधा सूची के प्रथम स्थान पर इस वाद के विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) एवं दूसरे स्थान पर इस वाद के वादी (श्रीमती मुनिता कुमारी) का नाम था। मेधा सूची के क्रमांक 01 के अभ्यर्थी का चयन किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि इस वाद के विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) की शादी 10 वर्ष पूर्व श्री मुन्ना कुमार साह, ग्राम–मणीछपरा, वार्ड सं0–05, प्रखंड–कल्याणपुर, जिला–पूर्वी चम्पारण के साथ हुई है। विपक्षी संख्या–02 (रिंकु कुमारी) शादी के पश्चात् अपने पति श्री मुन्ना कुमार साह ग्राम–मनीछपरा की स्थायी निवासी हो गयी एवं वहां के (मणीछपरा) वर्ष 2016 के ग्राम पंचायत के मतदाता सूची के क्रमांक 86 पर उनका नाम भी दर्ज हो गया , जो इनके (विपक्षी संख्या–02) ससुराल का निवास स्थान है। इतना ही नहीं विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) के आधार कार्ड एवं राशन कार्ड पर भी इनके ससुराल का ही पता अंकित है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) शादी के बाद ग्राम पंचायत बोकाने कला की स्थायी निवासी नहीं रही, फिर भी उनका चयन कर लिया गया है, जो गलत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी दावा है कि जब वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत राज बोकाने के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन मांगा गया, तो वर्ष 2018 में विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) अपने आधार कार्ड में अपना निवास स्थान, अपने पिता का निवास स्थान ग्राम पंचायत–बोकाने कला संशोधित करवाया तथा वर्ष 2018 में ही अपने पिता के निवास स्थान बोकाने कला के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन दिया। इस प्रकार विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) ग्राम पंचायत राज–बोकाने कला की स्थायी निवासी नहीं है। इसकी सूचना अपीलार्थी ने जिला पदाधिकारी को भी दी थी। परन्तु उन्होंने इस पर विचार किये बगैर अपना निर्णय दे दिया है। इस प्रकार अपीलार्थी ही जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु सबसे योग्य अभ्यर्थी है, फिर भी जिला पदाधिकारी ने विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) के नाम से अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है एवं निरस्त होने योग्य है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया की इनके (विपक्षी संख्या–02)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

द्वारा निवास प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन दिया गया था, जिसे अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) की शादी 2005 में हुई परन्तु वह अपने मायके में ही रहती है। वर्ष 2014 का निवास प्रमाण–पत्र, बैंक मित्र के रुप में काम करती थी, एवं उसके (रिंकु कुमारी) बैंक खाता में भी बोकाने कला का ही पता है। वर्ष 2017 का निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, 2015 का आय प्रमाण–पत्र एवं एल0आइ0सी0 में भी इनका पता बोकाने कला का ही है। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होता है। विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी, विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) को बेवजह परेशान व तंग करने के नियत से अपीलार्थी द्वारा अपील दायर किया गया है, जो चलने लायक भी नहीं है। वादी की योग्यता इन्टर में 88.4% नहीं बल्कि 68.4% ही है। विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) की शादी 2005 में हुई परन्तु शादी के पश्चात् मात्र 04 वर्षों तक ही अपने पति श्री मुन्ना कुमार साह के साथ अपने ससुराल ग्राम–मणीछपरा में अस्थायी तौर पर रही। शादी के 04 वर्ष के उपरांत अपने पिता के घर बोकाने कला चली आयी तथा वहीं अपने पिता से मिली जमीन पर अपना घर बनाकर अपने पति श्री मुन्ना कुमार साह के साथ रहने लगी। आगे इनका विपक्षी सं0–02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) ने 2016 के मतदाता सूची में नाम डालने हेतु कोई आवेदन BLO को नहीं दिया था। बावजूद मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ, वह गलत है। विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) ने मतदाता सूची में दर्ज नाम का कहीं भी उपयोग नहीं किया है। बल्कि जानकारी प्राप्त होने पर नाम कटवाने हेतु आवेदन भी दिया है। राशन कार्ड 2005 के बाद 04 वर्ष तक ससुराल में रहने के दौरान बना है। जबसे (2009 के बाद) वह अपने मायके में रहने लगी उनके द्वारा राशन कार्ड का उपयोग नहीं किया गया। विपक्षी सं0–02 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि राशन कार्ड के आधार पर किसी को स्थायी निवासी होने का दावा नहीं किया जा सकता है। विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) वर्ष 2014 में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा दी थी, उसमें भी उनका पता

WEB COPY NOT OFFICIAL

बोकाने कला का ही है। इनका (विपक्षी संख्या–02) यह भी दावा है कि जीविका में पंचायत के ही अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) का भी जीविका में बोकाने कला का निवासी होने पर चयन किया गया था। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय उचित है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय उचित है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ। विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) की शादी वर्ष 2005 में ही श्री मुन्ना कुमार साह के साथ हो गयी। श्री मुन्ना कुमार साह, विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी के पति) का निवास स्थान ग्राम–मणीछपरा, प्रखंड–पकड़ीदयाल, जिला–पूर्वी चम्पारण है। वर्ष 2016 के ग्राम मणीछपरा के मतदाता सूची में विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) का नाम दर्ज है। ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' की कंडिका 8 (5) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।*** विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) के राशन कार्ड तथा आधार कार्ड में भी विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि तक मणीछपरा के रूप में ही दर्ज है। इन सब बातों को विपक्षी सं0–02 के विद्वान अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है। उल्लेखनीय है कि जब विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) वर्ष 2009 में अपने पिता के घर बोकाने कला चली आयी तो वर्ष 2017 तक उनके पिता के घर बोकाने कला के पंचायत मतदाता सूची/राशन कार्ड/आधार कार्ड में नाम नहीं होना एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2017 में प्रकाशित विज्ञापन के बाद वर्ष 2018 में मतदाता पहचान पत्र में नाम कटवाने एवं आधार कार्ड में नाम सुधरवाने हेतु दिये गये आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि सही तथ्य को छुपाकर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) ने अपने ससुराल मणीछपरा के मतदाता सूची से नाम हटाने एवं आधार कार्ड में संशोधन का कार्यवाही प्रारंभ किया। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) ने गलत तथ्यों के आधार पर

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुज्ञप्ति प्राप्त किया है, जो गलत है। साथ ही वर्ष 2023 में विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) द्वारा अंचल कार्यालय, पताहीं में निवास प्रमाण–पत्र हेतु दिये गये आवेदन सं0–BRCCO/2023/283284 को अचंलाधिकारी, पताहीं द्वारा विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) की शादी कल्याणपुर अंचलान्तर्गत होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार विपक्षी सं0–02 (श्रीमती रिंकु कुमारी) का चयन गलत है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उसे विखंडित किया जाता है तथा प्रस्तुत अपीलवाद स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति को प्रश्नगत मामले में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL